न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –25/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00073

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

मदन बाई पुत्री कन्हैयालाल भील निवासी गादिया तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–
1 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 12/08/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गादिया के आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.11 हे0, 616 रकबा 0.18 हे0 किता–2 रकबा 0.29 हे0 भूमि दिनांक 02.01.2011 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारीं किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गादिया तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.11 हे0, 616 रकबा 0.18 हे0 किता–2 रकबा 0.29 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4 हमने पेशकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गादिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 232 रकबा 0.11 हे0, 616 रकबा 0.18 हे0 किता–2 रकबा 0.29 हे0, भूमि दिनांक 29.01.2011 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर हो रहा है कि आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तथा उक्त आवंटित भूमि में कोई रूचि नहीं है ।

5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के हक में दिनांक 29.01.2011 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि गादिया के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.11 हे0, 616 रकवा 0.18 हे0 किता–2 रकवा 0.29 हे0 सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।

6 निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष [illegible])
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा